मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

| | |
|---|---|
| हरियाणा में विकास की जमीनी हकीकत काछवा में देखिए | 3 |
| फरीदाबाद पुलिस को हिन्दी सीखने की जरूरत | 4 |
| ऐसे निलंबित हुआ फरीदाबाद का जिला रजिस्ट्रार | 5 |
| रजिया ही इस देश के मुसलमानों का भविष्य है | 6 |
| बीके अस्पताल में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा | 8 |

वर्ष 34 | अंक 31 | फरीदाबाद | 13-19 जून 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

# सुप्रीम कोर्ट का दस हजार घरों को गिराने का फैसला...

# पुनर्वास नहीं, पहले खोरी को उजाड़ो

## अदालत ने कहा – जमीन कब्जाने वाले कानून की आड़ नहीं ले सकते

## हमारा सवाल – कौन हैं वो जमीन बेचने वाले माफिया, कोर्ट उन पर क्यों है चुप

**मजदूर मोर्चा ब्यूरो**

**फ़रीदाबाद:** सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को आदेश दिया कि फरीदाबाद के अरावली जोन में पड़ने वाले खोरी और लकड़पुर में रह रहे लोगों के दस हजार घरों को डेढ़ महीने में गिरा दिया जाए। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) ने अभी तक वहां से अवैध निर्माण हटाए क्यों नहीं। अदालत ने कहा कि इनका कहां पुनर्वास होगा, इस सवाल पर वह कोई बात नहीं कर रही है। यह काम हरियाणा सरकार का है, वो इन्हें कहां बसाएगी, सुप्रीम कोर्ट को वो वन क्षेत्र की वह जगह खाली चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जमीन कब्जाने वाले कानून की आड़ नहीं ले सकते। अदालत का निर्देश आते ही एमसीएफ और फरीदाबाद जिला प्रशासन फौरन सक्रिय हो गया। उसने खोरी और लकड़पुर में नोटिस चिपका दिए कि जगह खाली कर दी जाए, अन्यथा गिरा देंगे। जिला प्रशासन ने इस काम के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को वहां तैनात कर दिया। इसी अदालत ने फरीदाबाद और गुड़गांव में बने अवैध फॉर्म हाउसों और शिक्षण संस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है।

खोरी गांव के लोगों ने शुक्रवार को सूरजकुंड शूटिंग रेज रोड पर प्रदर्शन किया और मांग की कि उनके लिए ट्रांजिट कैम्प लगाया जाये उसके बाद ही उन्हें खोरी से हटाया जाये। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि पुलिस ने गुरुवार रात को खोरी गांव से कुछ लोगों को पकड़ लिया जब इनके समर्थन में लोग जमा हुए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया।

**उठ रहे हैं कुछ सवाल**

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई मानवीय पहलू सिरे से गायब हैं। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, यदि कोरोना लहर ने कहीं इतनी आबादी को घेरा तो क्या सरकार इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगी? कोरोना काल को देखते हुए इतनी बड़ी आबादी को हटाना किसी भी गंभीर खतरे को आमंत्रण देना होगा। क्या राज्य की स्वास्थ्य ढांचे पर जो दबाव आएगा उसे सरकार क्या संभाल पाएगी? बंधुआ मुक्ति मोर्चा के निर्मल गोराया और विमल भाई का कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार तुरंत ट्रांजिट कैंप बना कर फिर विस्थापन के बारे में सक्रिय हो। फरीदाबाद में हजारों बने बनाए मकान खाली पड़े हैं, वहां पर लोगों को स्थानांतरित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले पहले भी दिए हैं लेकिन उसने पुनर्वास के पहलू पर पहले ध्यान दिया है। सवाल ये है कि इस बार वो मानवीय चेहरा क्यों गायब है। वैकल्पिक व्यवस्था खोरी और लकड़पुर के लोगों का हक है वह उन्हें मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट एक तरह यह तो मान रहा है कि यह अवैध कब्जा है लेकिन अरावली के जंगल की इस जमीन को बेचने वाले कौन हैं, उनके चेहरों को बेनकाब नहीं किया। उसने अलग से ऐसी किसी जांच का आदेश नहीं दिया जिससे जमीन माफिया का चेहरा सामने आता, उन अफसरों पर जिम्मेदारी तय होती। आखिर ऐसा क्यों ?

**जंगल की जमीन किसकी**

दिल्ली-फरीदाबाद की सीमा पर बसे खोरी और लकड़पुर में ज्यादातर यूपी-बिहार के वो मेहनतकश लोग बसे हुए हैं जिन्होंने माफिया से सस्ते दामों पर बिना लिखा-पढ़ी यहां जमीन खरीदकर 50-50 गज में छोटे मकान बना लिए। यहां ज्यादातर रहने वाले फैक्ट्रियों में छोटी-मोटी नौकरी करते हैं या सिलाई, सब्जी बेचने, कारपेंटर, पेंटिंग आदि का काम करके अपना पेट पालते हैं। ये वे प्रवासी मजदूर हैं जिन्होंने कोरोना की पहली लहर में यहां से पलायन भी किया था और बाद में सरकार की अपील पर वापस लौटे। देशभर में जंगल के अंदर आदिवासी घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन किसी भी अदालत ने कभी जंगल से आदिवासियों को हटाकर जमीन खाली करने का फरमान नहीं सुनाया। यहां सवाल यह भी है कि आखिर अरावली की जमीन का मालिक कौन है? अरावली में ज्यादातर गूजरों के गांव हैं। उन्हीं लोगों में से कुछ दबंगों ने अरावली की जमीन यूपी-बिहार के लोगों को बेची है। इन दबंगों की पहचान का काम कौन सी अदालत करेगी। अगर हरियाणा सरकार और एमसीएफ इन जमीनों की मालिक है तो उन दबंगों ने यहां कैसे वन विभाग की जमीन बेच दी।

**अवैध फॉर्म हाउसों और शिक्षण संस्थानों पर चुप्पी क्यों**

गुड़गांव और फरीदाबाद के अरावली जोन में अंसख्य फॉर्म हाउस और विभिन्न संस्थान, मंदिर, आश्रम बने हुए हैं। फरीदाबाद में ही करीब 150 फॉर्म हाउस बने हुए हैं। इससे ज्यादा संख्या गुड़गांव में है। पर्यावरण कार्यकर्ता नीलम आहलूवालिया और एनजीओ 'अरावली बचाओ' लगातार अरावली को बर्बाद करने पर सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों ने अरावली में कूड़ा फेंकने और उसे जलाने तक मामला उठाया। एनजीटी में अनगिनत शिकायतें की हैं। एनजीटी ने 31 जनवरी 2021 तक गुड़गांव-फरीदाबाद के अरावली जोन में सभी तरह के अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिर ये अवैध फॉर्म हाउस, शिक्षण संस्थान,

शेष पेज दो पर

# एमसीएफ में हो गया खेल, नए ज्वाइंट कमिश्नर की विवादास्पद नियुक्ति

## अटकान से पीछा छुड़ाने के लिए भाजपा विधायक ले आईं अपना खास अफसर

**मजदूर मोर्चा ब्यूरो**

**फरीदाबाद:** अरावली जोन, बडखल और एनआईटी इलाके की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जे और अवैध फॉर्म हाउसों को बचाने के लिए एक नया खेल नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में खेला गया है। हरियाणा सरकार ने इस खेल में शामिल होते हुए एक नए संयुक्त आयुक्त (ज्वाइंट कमिश्नर) की नियुक्ति की है। लेकिन इस संबंध में सरकार का आदेश विवादास्पद है। नए ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव ने आदेश होते ही अपना कार्यभार आकर एमसीएफ में संभाल लिया। उनके पास एमसीएफ का अतिरिक्त काम होगा। वो 'हूडा' के संपदा अधिकारी पद पर भी काम करते रहेंगे। एमसीएफ के तीनों जोन एनआईटी, ओल्ड और बल्लभगढ़ में एक-एक ज्वाइंट कमिश्नर पहले से ही हैं। संकेत ये निकल रहा है कि आनन-फानन में किए गए तबादला आदेश का संबंध कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से भी है।

**क्यों विवादास्पद है आदेश**

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन के दफ्तर से 9 जून की शाम को एक संक्षिप्त तबादला आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि हूडा फरीदाबाद के संपदा अधिकारी को एक खाली पोस्ट पर नगर निगम फरीदाबाद में ज्वाइंट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लेकिन मजदूर मोर्चा संवाददाता ने जब गौर से चीफ सेक्रेटरी दफ्तर से जारी तबादला आदेश को देखा तो सबसे नीचे एक विशेष लाइन लिखी गई थी। जिसमें कहा गया था कि इसकी सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकल बॉडीज एस.एन. रॉय को इस निर्देश के साथ दी जा रही है कि ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद की यह नियुक्ति अस्थायी है यानी कुछ समय के लिए है। एमसीएफ के तीन जोन में अलग-अलग ज्वाइंट कमिश्नर हैं, ऐसे में पूरे फरीदाबाद के लिए एक अस्थायी ज्वाइंट कमिश्नर की नियुक्ति का क्या अर्थ है। क्या जितेन्द्र यादव कमिश्नर गरिमा मित्तल के बाद पूरे फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र का सारा काम देखेंगे ?

विधायक सीमा त्रिखा : हर हथकंडे में माहिर

चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से जारी यह तबादला आदेश इसलिए और भी विवादास्पद हो गया जब अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी एस.एन. रॉय ने अगले ही दिन 10 जून को इसी सिलसिले में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 में उप धारा 4 ए और धारा 2 के तहत एमसीएफ में निहित सभी शक्तियों को ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद को सौंपा जाता है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसके अलावा जिन भी अधिकारियों के पास अब ऐसी शक्तियां उन्हें सीज किया जाता है और अब सारी शक्ति ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद के पास आ चुकी हैं।

इस तरह हरियाणा सरकार के दोनों आला अफसरों के आदेशों में यह साफ नहीं किया गया कि जब नया ज्वाइंट कमिश्नर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है तो भी उसे कमिश्नर के बाद सारी शक्तियां कैसे दी जा सकती हैं, जबकि एनआईटी, ओल्ड और बल्लभगढ़ जोन में एक-एक ज्वाइंट कमिश्नर पहले से नियुक्त हैं। तीन जोन में ज्वाइंट कमिश्नर होते हुए भी एक और ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद के नाम से नियुक्ति और वो भी अस्थायी...कहानी दरअसल कुछ और है।

**विवाद के केन्द्र में प्रशांत अटकान**

एनआईटी के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान इस सारे विवाद के केन्द्र में आ गए हैं। उनकी नियुक्ति के बाद जब एनआईटी इलाके में उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश पर तोड़फोड़ अभियान चलाया तो उनका सीधा मुकाबला भाजपा विधायक सीमा त्रिखा और कुछ पार्षदों से हुआ। सीमा त्रिखा ने उन्हें कहा कि तोड़फोड़ उनसे पूछ कर होनी चाहिए। अटकान काबू में नहीं

शेष पेज दो पर